उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 03/2022

कुलविन्दर सिंह बनाम वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
06-04-2022	यह वाद अपीलार्थी कुलविन्दर सिंह पिता रघुबीर सिंह ग्राम केदला न0 9 थाना माण्डू (वेस्ट बोकारो) जिला रामगढ़ द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या 116/2020 में दिनांक 08.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम – 1927 की धारा 52 (A) के तहत अपील दायर किया गया, उसके आधार पर वाद की स्वीकृत किया गया एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कागजात एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पोषणीय नही है, जो खारिज करने योग्य है। बिना कारण एवं गलती का उनका ट्रक को पकडा गया है। खाता, प्लॉट एवं रकवा की अस्पष्टता के कारण कानुन की दृष्टि से यह वाद खारिज करने योग्य है। भारतीय वन अधिनियम के धारा U/S 33 इस पर लागु नही होता है। इनके द्वारा उल्लेख किया है कि मजदूर कोल ब्रिकेटस, रकुवा, गोला जिला–रामगढ़ से कोयला लोड किया गया एवं निशान इन्टर उद्योग विशुनपुर, रिसोडा, महाराजगंज (बिहार) के लिए जा रहा था परन्तु दिगवार कुजू फोर लेन के पास गाड़ी खराब हो गया। ट्रक को 18.05.2020 को बनाया गया एवं दिनांक–19.05.2020 को सुबह बिहार के लिए अपने गन्तव्य के लिए प्रस्थान किया, जिसे पुलिस बल द्वारा कुजू के समीप पकड़ लिया गया। पुलिस को गाडी से संबंधित कागजात दिखलाया गया, जिसे उनके द्वारा अनदेखा कर दिया गया। इस संबंध में इनके द्वारा डी0एस0पी0, रामगढ़ को भी आवेदन दिया गया। आवेदन द्वारा अनुरोध किया गया है कि दिनांक 15.05.2020 को समय 2.19 रात्रि को ट्रक मेसर्स मजदूर कोल ब्रिकेटस, रकुवा, गोला जिला रामगढ़ से कोयला लोड किया एवं निशान इन्टर उद्योग विशुनपुरा रिसोडा महाराजगंज (बिहार) के लिए चला परन्तु दिगवार कुजू फोर लेन के पास गाडी ब्रेकडाउन के चलते खराब हो	

गया। ट्रक 18.05.2020 को बना एवं 19.05.2020 को सुबह बिहार के लिए चला परन्तु 19.05.2020 को सुबह 6.00 बजे ट्रक को कोयले सहित माण्डू (कुजु) के द्वारा अवैध दिखलाते हुए जप्त किया गया। इनके द्वारा सबूत के तौर पर कोयला का पेपर का छायाप्रति एवं ओनरबुक का छायाप्रति समर्पित किया गया।

अन्त में इनके द्वारा अपने दिये गये आवेदन को समर्थन करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में राज्यसात वाद संख्या 116/2020 में दिनांक 08.10.2021 को पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 69 के अनुसार यदि प्रतिवादी उक्त जप्त वन पदार्थ पर अपना दावा प्रमाणित करने में असफल होता है तो वह वन पदार्थ सरकार की सम्पति मानी जाएगी। प्रतिवादी द्वारा पुलिस बल के समक्ष कागजात प्रस्तुत नहीं करना तथा दावा हेतु उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रतिवादी द्वारा कुजू अधिसूचित वन क्षेत्र से अवैध खनन कर ट्रक पर लोड कर अवैध परिवहन का प्रयास किया जा रहा था, जिसे पुलिस बल पकड़ लिया गया। प्रस्तुत वाद में कोयले का खनन स्थल कुजू वन क्षेत्र दिखाया गया है, जो कि एक अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि है। अधिसूचित एवं सीमांकित वन क्षेत्र से अवैध उत्खनन कर परिवहन करना भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है एवं दण्डनीय अपराध है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखने की कृपा की जाय।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय का आदेश, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा वन भूमि से कोयले का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखा जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाता है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
06.04.2022
उपायुक्त
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
06.04.2022
उपायुक्त
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:01:34 +05:30
Location: 192.168.0.4